

Under the circumstances, it would be a grave injustice to the people of that State for the Railway Ministry to seek, through some means, to get over the decision of the previous Government to set up this project at Kanchikkott.

May I request the hon. Minister of Railways to give a categorical assurance to this House that no change with regard to the site of project is contemplated and also to have the work taken up at the earliest.

(ii) REPORTED STOPPAGE OF TEACHING OF HINDI IN TAMIL NADU

श्री नबाब सिंह चौहान (झलोगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति में अविलम्बनीय लोक महत्व के एक विषय की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

तामिलनाडु की राज्य सरकार ने महत्वा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार मन्त्रालय के द्वारा स्कूलों में चलाई जा रही हिन्दी की पढ़ाई को बन्द कर दिया है। हमसे माफ हो जाना है कि वह केवल हिन्दी को छोपे जाने के ही खिलाफ नहीं है, वरन्, उन लोगों को भी हिन्दी पढ़ने से रोकने पर तुली हुई है, जो स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं। यह संविधान की भावना के निम्न विपरीत और भेद-भावना पैदा करने वाला कार्यवाही है।

(iii) REPORTED ATROCITIES ON TELUGU PEOPLE IN KORAPUT DISTRICT, ORISSA.

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU (Chittoor): Mr. Speaker, Sir I rise to mention under Rule 377 the matter relating to atrocities on Telegu people in Sonabeda, Koraput district, Orissa.

Some thousands of Telugu people are in Sonabeda in Koraput district in Orissa State. They are very peace loving people. The Oriyas in Sonabeda became envious of them and with animosity are perpetrating atrocities upon them.

The Oriyas have obstructed Telugu people in performing Sriramma. They have obstructed in playing Telugu cinema pictures in theatres. They beat the Telugu people and many received injuries. Section 144 was imposed in the town and even now harassment is going on.

I request the Hon. Home Minister to take up this issue with the Orissa Government and see that the Telugu people are protected.

(iv) REPORTED NON-AVAILABILITY OF RAILWAY WAGONS IN SAURASHTRA (GUJARAT) FOR TRANSPORTATION OF ESSENTIAL COMMODITIES.

श्री धर्मसिंह चाई पटेल (पोरबन्दर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ :

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्याज, खाद्य तेल, अनाज, चूक पावडर, वनस्पति वरीरह जिन्सों को सौराष्ट्र से बाहर भेजने के लिए रेलवे के बैगन नहीं मिलते हैं। इन के लिए सौराष्ट्र के उपलेटा, धोराजी, भायाबदर, जूनागढ़, भापुर-सौर, भायाबदर, राणा श्राव, पोरबन्दर, जाम जोधपुर, पानेली-मोटी, बाम जामिया, बेराबल, चोरवाड़, केमोद, बांटा लामपुर, जामनगर वरीरह स्थानों के व्यापारियों, कैम्बर श्राफ कैम्स एण्ड इंडस्ट्रीज, श्रायल इंडस्ट्रीज, प्याज पर-चेन्ट्र एसोसियेसन्स, चूक एसोसियेसन्स, तथा सहकारी संस्थाओं ने रेल मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को और पश्चिम विभाग के बम्बई और भावनगर केंद्र अधिकारियों को करीब 35 ग्रह्यावेदन पत्र, पत्र, तार और टेलीफोन भेज कर मांग की है।

कहीं कहीं एक और दो महीने से रेल बैगन नहीं मिलने से इन शहरों-नगरों का व्यापार उद्योग ठप्प हो गया है। मैंने भीगत तीन महीनों में मैंने कई दफा रेल मंत्री जी को, रेलवे बोर्ड को, बम्बई और भावनगर के पश्चिम विभाग के रेल के पदाधिकारियों को पत्र लिखा है, तार दिए हैं, तो भी रेल बैगनों की पूरी तरह से नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती है।

उपरोक्त स्थानों के लिए करीब 2500 बैगनों की डिमांड्स अब पेंडिंग हैं। तो रेल मंत्री जी इन की तुरन्त जांच कर के नियमित रूप से बैगनों के भेजने का शीघ्र प्रबन्ध करें, ऐसी मेरी मन्त्र प्रार्थना है।

(v) REPORTED SHORTAGE OF NEWSPRINT AND OTHER VARIETIES OF PAPER.

श्री 0 लक्ष्मीनारायण पांडेय (सबसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ

विगत कई महीनों से देश में अखबारी कागज व अन्य प्रकार के कागज की भारी कमी अनुभव की जाती रही है किन्तु आज उस की स्थिति प्रत्यंत खराब हो गई। देश के स्थित वेपर मिल्स द्वारा भी अपनी स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं किया जा रहा है। कच्चे माल की भारी उपलब्धि के बाद भी नये यूनिट्स भी स्थापित नहीं हो पाये हैं।